

# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 06/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/347)

1. जगदीश
2. किशोरीलाल
3. रामनिवास
4. रामसिंह
5. रामधन पुत्रान प्रताप सिंह गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासीयान ग्राम हरनाथ की ढाणी तन भीरपुर, तहसील बानसूर जिला अलवर।

— अपीलान्त

## बनाम

1. तहसीलदार तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 बहैसियत भू धारक तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

— रैसपोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर राज0 निर्णय दिनांक 23.08.2022 अपील संख्या 12/41/2019 12/71/2021 अनुवानी जगदीश बनाम राजस्थान सरकार व निर्णय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर दिनांक 22.02.2019 प्रकरण अनुवानी राजस्थान सरकार बनाम जगदीश गुर्जर, प्रकरण संख्या 340/2019 में पारित किये गये हैं।

## उपस्थित—

1. श्री हरिप्रसाद जांगिड, वकील अपीलान्त
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रैसपो. नं. 1 की ओर से।

## निर्णय

दिनांक —14.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 23.08.2022 एवं तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 15.11.2022 को पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 22.02.2019 द्वारा ग्राम भीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित राजकीय भूमि पर सम्बन्ध 2075 में अपीलान्त द्वारा आराजी खरारा नम्बर 673 रकबा 0.01 है0 किरम गैर मुमकिन चाह में से 0.01 है0 पर अतिक्रमण एवं 674 रकबा 3.44 है0 किरम गैर मुमकिन खाल खद्वर में से 1.00 है0 भूमि पर गेहू की फसल काशत किये जाने पर 100/रूपये शास्ती, फसल नीलामी, बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्त ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2022 द्वारा खारिज कर दी गयी।
3. तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 23.08.2022 से व्यथित होकर अपीलान्तस द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 23.08.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रैसपोडेन्टस की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 23.08.2022 को जो आदेश पारित किया है वह निर्णय विधि के सिद्धान्तों के विपरित जाकर पारित किया है। जिसमें दोनों न्यायालयों के द्वारा ना तो विधि के सिद्धान्तों का पालन किया गया और ना ही रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। तहत अदालत के समक्ष जो रिपोर्ट अतिक्रमी के सम्बन्ध में पेश की गयी उसमें कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि अपीलान्टस ने उक्त आराजी पर पूर्व में कब अतिक्रमण किया था। जिस नोटिस पर भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की उपधारा 3 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। लेकिन तहत अदालत के द्वारा बेजा तोर पर भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 उपधारा 3 के तहत कार्यवाही कर 3 माह की सजा की गयी है। तहत न्यायालय के द्वारा जो नोटिस मिन अपीलान्टस को सुनवाई हेतु जारी किया गया है उस पर कहीं अंकित नहीं किया गया कि अपीलान्टस ने पूर्व में कब किस सम्बन्ध में उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया था। इस प्रकार से उक्त नोटिस से साबित नहीं था कि अपीलान्टस के द्वारा पूर्व में कोई अतिक्रमण किया गया था और उसे बेदखल किया गया थ कहीं अंकित नहीं किया गया जिससे भी उक्त तथ्य मिथ्या हो जाने के कारण भी उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। मिन अपीलान्टस के खुद की खातेदारी कृषि भूमि है, जो कि उक्त भूमि के साथ लगती हुई है। जिसकी कभी ना तो तहसीलदार ने और ना ही पटवारी के द्वारा कभी किसी भी प्रकार की पेमाईस करवायी और ना ही पटवारी हल्का द्वारा सरकारी भूमि व मिन अपीलान्टस की खुद कास्त की भूमि की पैमाईस की, जिससे कि मौके की वास्तविक स्थिति साफ हो सके परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गयी जिससे की अपीलान्टस को उक्त भूमि पर अतिक्रमी माना जाये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में ना तो कोई पूर्ववर्ती अतिक्रमी होने के सम्बन्धी कोई दस्तावेजात पेश किये गये और ना ही ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर पेश की गयी जिससे साफ हो सके कि अपीलान्टस के द्वारा ऐसा कोई अतिक्रमण पूर्व में उक्त भूमि पर किया गया हो। दिनांक 14.02.2019 को पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट पटवारी पेश की गयी जिसमें कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया कि इससे पूर्व में भी कोई अतिक्रमण किया गया था केवल अपीलान्टस के खातेदारी की कृषि भूमि जो कि उक्त आराजी के साथ लगती हुई है के आधार पर उक्त रिपोर्ट बनाकर पेश की गयी जिसकी ना तो पेमाईस की गयी और ना ही कोई सीमाज्ञान की कार्यवाही अमल में लायी गयी फिर किस आधार पर मिन अपीलान्टस को अतिक्रमी माना गया इसका कोई स्पष्टीकरण ना तो पटवारी ने किया और ना ही तहसीलदार बानसूर ने अपने निर्णय में कहीं अंकित किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर मिन अपीलान्टस को वास्ते सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। व जवाब साक्ष्य हेतु दिनांक 08.02.2019 को तलब किया गया। नोटिस की पालना में अप्रार्थी अपीलान्टस ने उपस्थित होकर अपना जवाब/शपथ पत्र पेश नहीं किया, फिर भी पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये और पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। इस कारण भी उक्त आलोच्य आदेश निरस्त किया जाने योग्य है। उक्त नोटिस में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि अपीलान्ट ने पूर्व में उक्त आराजी पर कब अतिक्रमण किया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में स्वयं अंकित किया गया है कि अपीलान्टस ने स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रकरण में वर्णित आराजी वाके ग्राम धीरपुर में किये गये अतिक्रमण को स्वयं ही हटा लिया गया है, अब वर्तमान में उक्त भूमि पर मेरा कोई कब्जा नहीं रहा है, तथा उक्त भूमि पर भविष्य में पुनः कोई कब्जा नहीं करूंगा। अपीलान्ट के द्वारा ना तो पूर्व में उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया गया था और ना ही आज दिनांक को किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है। अतः उक्त आलोच्य निर्णय दिनांक 22.02.2019 व दिनांक 23.08.2022 को अपास्त किया जाना न्याय हित में है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के आदेश दिनांक

23.08.2022 व तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.02.2019 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें। अपीलान्त एक ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति है जिसे कानून व मियाद की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त अपील पेश करने में देरी हुई जो क्षमा योग्य है। अपीलान्त द्वारा दिनांक 01.11.2022 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 02.11.2022 को नकल प्राप्त की। इसके पश्चात जयपुर आकर अपने वकील साहिबान से सलाह मशवरा किया और अपील प्रस्तुत की गयी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील को न्यायहित में गुणावगुण पर निस्तारित करने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 के राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 673 व खसरा नम्बर 674 किस्म गैर मुमकिन चाह/गैर मुमकिन खाल खद्वर की है, जो राजकीय भूमि है, जिस पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नहीं है, अवैध कब्जा किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर अतिक्रमी के विरुद्ध तीन माह का सिविल कारावास/बेदखली/पेनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलान्त अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्त में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2022 के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 15.11.2022 को पेश की गयी है, जो करीब 3 माह बाद पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2022 की जानकारी नकल दिनांक 02.11.2022 को होना अंकित किया है। अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रुख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में इस प्रकरण में नरमी का रुख अपनाते हुये अपीलान्त का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पटवारी हल्का हरसौरा ने ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित राजकीय भूमि पर सम्वत 2075 में अपीलान्त द्वारा आराजी खसरा नम्बर 673 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह में से 0.01 है0 पर अतिक्रमण एवं 674 रकबा 3.44 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर में से 1.00 है0 भूमि पर गेंहू की फसल काशत किये जाने पर अतिक्रमी जगदीश, किशोरीलाल, रामनिवास, रामसिंह, रामधन पुत्रान प्रतापसिंह, जाति गुर्जर निवासी हरनाथ की ढाणी तन धीरपुर तहसील बानसूर के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी। दिनांक 22.02.2019 को अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुए 100/रूपये शास्ती, फसल नीलामी, बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 28.01.2019 को तलब किया गया। अतिक्रमी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 08.02.2019 नियत की गयी अतिक्रमी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे, अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 22.02.2019 को उपस्थित होने हेतु आदेश जारी किये गये जिनकी पालना में अतिक्रमी तहत न्यायालय में उपस्थित हुये किन्तु अपना जवाब पेश नहीं किया गया। आदेशिका दिनांक 22.02.2019 से जाहिर है कि पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये। पटवारी हल्का ने अपने बयान में अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नं0 673 व आराजी खसरा नं0 674 किस्म गैर मुमकिन चाह/गैर मुमकिन खाल खद्वर की है, जो सरकारी भूमि है, पर अतिक्रमी जगदीश, किशोरीलाल, रामनिवास, रामसिंह, रामधन पुत्रान प्रतापसिंह, जाति गुर्जर निवासी हरनाथ की ढाणी तन धीरपुर तहसील बानसूर द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिनके

विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी है, इनके विरुद्ध पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था। जिनके विरुद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत बेदखल किया गया था। अब पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। उक्त अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अर्थात् आदतन अतिचारी है। तहत अदालत के समक्ष अतिक्रमी ने उपस्थित होकर शपथ-पत्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित किया गया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की कैफियत पर अंकित टिप्पणी अनुसार अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जबकि कानून राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्त द्वारा उक्त राजकीय सिवायचक भूमि पर संवत् 2075 फसल खरीफ में भी उक्त भूमि पर फसल बाजरा, कपास, गुवार बोकर अतिक्रमण किया गया था। जिसे बेदखल करने के पश्चात् पुनः राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को रोकने एवं अकुशं लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2022 को यथावत रखा जाता है।

आंतारिक्त संभागीय आयुक्त  
( डॉ. प्रदीप कुमार )  
अति. सम्भागीय आयुक्त,  
जयपुर

निर्णय दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

आंतारिक्त संभागीय आयुक्त  
अति. सम्भागीय आयुक्त,  
जयपुर